राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :लेखा–13 / चोरी / गबन / रा.स्त.ऑ. / 2024 / दिनांक :

–:परिपत्र:–

दिनांक 10.01.2024 को मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जयपुर की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय ऑडिट कमेटी की बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक में मिशन निदेशक महोदय द्वारा चोरी / गबन / विशेष जांच प्रकरणों में लम्बे समय से बकाया चल रही वसूलियों को गंभीरता से लिया गया है। निदेशक (जन स्वास्थ्य) के नियन्त्रणाधीन चोरी / गबन / विशेष जांच प्रकरणों मे त्वरित गति से बकाया वसूलियां किये जाने हेतु निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैः–

(i) आपके अधीन चोरी / गबन / विशेष जांच प्रकरणों में सम्बन्धित दोषी कार्मिकों से जिन प्रकरणों में एक मुश्त वसूली किया जाना संभव नही हो एवं वसूली पर न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो ऐसे प्रकरणों मे दोषी कार्मिक / अधिकारियों से नियमानुसार प्रतिमाह वेतन के एक तिहाई की सीमा तक कटौती कर तत्काल प्रभाव से वसूली किया जाना सुनिश्चित करें।

(ii) चोरी / गबन / विशेष जांच प्रकरणों में वसूली हेतु जिम्मेदार अधिकारी / कर्मचारी का स्थानान्तरण अन्य कार्यालयों में होने की स्थिति में स्थानान्तरित अधिकारी / कर्मचारी के पदस्थापित कार्यालय के आहरण एवं वितरण अधिकारी से पत्राचार कर वसूली योग्य बकाया राशि की कटौती किए जाने हेतु निर्देशित करें।

(iii) जिन चोरी / गबन / विशेष जांच प्रकरणों की विभागीय जांच लम्बित है, उन प्रकरणों की विभागीय जांच पूर्ण करवाकर विभागीय जांच के निर्णयानुसार तत्काल प्रभाव से वसूली / अपलेखन की कार्यवाही पूर्ण करवाया जाना सुनिश्चित करें।

उक्त निर्देशानुसार आपके अधीन बकाया वसूलियों की कार्यवाही पूर्ण कर वसूली प्रगति से प्रतिमाह अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

sd

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान जयपुर

क्रमांक :लेखा–13 / चोरी / गबन / रा.स्त.ऑ. / 2024 / 6910 दिनांक : 31.1.24

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जोन को को प्रेषित कर लेख है कि आपके अधीन बकाया चोरी / गबन / विशेष जांच प्रकरणों में सम्बन्धित अधिकारी / कर्मचारी से वसूली की कार्यवाही तत्काल प्रभाव से किया जाना सुनिश्चित करें।
2. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को को प्रेषित कर लेख है कि आपके अधीन बकाया चोरी / गबन / विशेष जांच प्रकरणों में सम्बन्धित अधिकारी / कर्मचारी से वसूली की कार्यवाही तत्काल प्रभाव से किया जाना सुनिश्चित करें।
3. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, को को प्रेषित कर लेख है कि आपके अधीन बकाया चोरी / गबन / विशेष जांच प्रकरणों में सम्बन्धित अधिकारी / कर्मचारी से वसूली की कार्यवाही तत्काल प्रभाव से किया जाना सुनिश्चित करें।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर / जोधपुर / कोटा / बारां / उदयपुर / प्रतापगढ़ / श्रीगांगनगर / जैसलमेर / बाड़मेर / झुन्झुनूं / अलवर / बून्दी / झालावाड़ / कोटा / भीलवाड़ा को प्रेषित कर लेख है कि आपके अधीन बकाया चोरी / गबन / विशेष जांच प्रकरणों में सम्बन्धित अधिकारी / कर्मचारी से वसूली की कार्यवाही तत्काल प्रभाव से किया जाना सुनिश्चित करें।
5. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, अलवर / नसीराबाद (अजमेर) / डीडवाना (नागौर) / श्रीगंगानगर / केकड़ी (अजमेर) को प्रेषित कर लेख है कि आपके अधीन बकाया चोरी / गबन / विशेष जांच प्रकरणों में सम्बन्धित अधिकारी / कर्मचारी से वसूली की कार्यवाही तत्काल प्रभाव से किया जाना सुनिश्चित करें।
6. ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, शाहपुरा (भीलवाड़ा) / बीलाड़ा (जोधपुर) / फलौदी (जोधपुर) / शाहबाद (बारां) / चेचट (कोटा) / गंगापुरसिटी (सवाईमाधोपुर) / बहादुरबास (झुन्झुनूं) को प्रेषित कर लेख है कि आपके अधीन बकाया चोरी / गबन / विशेष जांच प्रकरणों में सम्बन्धित अधिकारी / कर्मचारी से वसूली की कार्यवाही तत्काल प्रभाव से किया जाना सुनिश्चित करें।
7. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, कुदन (सीकर) / मुण्डावर (अलवर) / राजगढ़ (अलवर) / बानसूर (अलवर) / पीपाड़शहर (जोधपुर) / कुराबड़–गिर्वा(उदयपुर) / खमनौर (राजसमन्द) / केलवाड़ा (राजसमन्द) / वल्लभनगर (उदयपुर) / नोहर (हनुमानगढ़) / बायाना (भरतपुर) / अमरसर (जयपुर) / अनूपगढ़ (श्रीगंगानगर) को प्रेषित कर लेख है कि आपके अधीन बकाया चोरी / गबन / विशेष जांच प्रकरणों में सम्बन्धित अधिकारी / कर्मचारी से वसूली की कार्यवाही तत्काल प्रभाव से किया जाना सुनिश्चित करें।
8. राज्य कुष्ठ रोग अधिकारी, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि आपके अधीन बकाया चोरी / गबन / विशेष जांच प्रकरणों में सम्बन्धित अधिकारी / कर्मचारी से वसूली की कार्यवाही तत्काल प्रभाव से किया जाना सुनिश्चित करें।
9. भण्डार अधिकारी (स्टेशनरी) मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि आपके अधीन बकाया चोरी / गबन / विशेष जांच प्रकरणों में सम्बन्धित अधिकारी / कर्मचारी से वसूली की कार्यवाही तत्काल प्रभाव से किया जाना सुनिश्चित करें।
10. एसएसपीओ, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि आपके अधीन बकाया चोरी / गबन / विशेष जांच प्रकरणों में सम्बन्धित अधिकारी / कर्मचारी से वसूली की कार्यवाही तत्काल प्रभाव से किया जाना सुनिश्चित करें।
11. प्रभारी सर्वर रूम को प्रेषित कर लेख है कि इस परिपत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ करवाने का श्रम करें।

वित्तीय सलाहकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान जयपुर

D:\Ganesh ji\Letter-3.doc